जनसत्ता

ऐतिहासिक फैसला

भारत के इतिहास में पांच अगस्त 2019 का दिन एक ऐतिहासिक अवसर के रूप में दर्ज हो गया है। केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 (1) को छोड़ कर इस धारा के सभी प्रावधानों को खत्म कर दिया है। अब राज्य में पूरी तरह से भारत का संविधान लागू हो गया है। धारा 370 हटाने को लेकर देश को दशकों से इंतजार था और राज्य में पिछले तीन-चार दशकों से जिस तरह के हालात बने हुए थे, उसे देखते हुए यह जरूरी भी हो गया था। धारा 370 हटाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ने सोमवार को राज्यसभा में संकल्प पेश किया और फिर चर्चा और विपक्ष के भारी विरोध के बाद इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया। संविधान (जम्मू कश्मीर में लागू) आदेश 2019 पर राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद जम्मू-कश्मीर में भारत का संविधान लागू हो गया। अब जम्मू-कश्मीर का अपना कोई संविधान नहीं रह गया है और जम्मू कश्मीर में लागू आदेश 1954 का अस्तित्व समाप्त हो गया है। धारा 370 खत्म होने से 35ए भी स्वतः ही समाप्त हो गई है। राज्य में अब धारा 370 (1) ही लागू रहेगी, जो संसद द्वारा जम्मू-कश्मीर के लिए कानून बनाने से संबंधित है।

आजादी के बाद से ही कश्मीर की समस्या भारत के लिए बड़ा सिरदर्द बनी रही है। धारा 370 जैसे प्रावधान ने भारत के इस अंदरूनी संकट को हमेशा बढ़ाया ही है। कश्मीर घाटी पिछले चार दशक से आंतकवाद की मार झेल रही है और इस दौरान बड़ी संख्या में बेगुनाह नागरिक मारे गए और जवान शहीद हुए। समस्या का मूल ही राज्य को विशेष दर्जा मिले रहना रहा है, जिसकी वजह से अब तक की केंद्र सरकारें कई अहम फैसले लेने से बचती रही थीं। और एक देश में दो संविधान, दो व्यवस्थाएं चलने वाली स्थिति लंबे समय तक बनाए रखी भी नहीं जा सकती। दरअसल, विशेष दर्जे के बाद भी कश्मीर और कश्मीरियों की हालत में कोई ऐसा उल्लेखनीय सुधार नहीं आया जिससे राज्य को विशेष दर्जे को बनाए रखना तर्कसंगत ठहराया जा सके, बल्कि प्रदेश के राजनीतिक दल कश्मीर के नाम पर अपनी राजनीति करते रहे। हालत यह है कि आज राज्य में नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, गांव-गांव में आतंकवादी संगठन गहरी पैठ बना चुके हैं, शासन में भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही हैं और किसी भी केंद्रीय योजना का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच नहीं रहा है।

धारा 370 खत्म करने के साथ ही जम्मू-कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया है। अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश होंगे। बस फर्क ये होगा कि जम्मू-कश्मीर में तो विधानसभा होगी, लेकिन लद्दाख में नहीं। लद्दाख केंद्र प्रशासित होगा। धारा 370 हटाने को लेकर राजनीतिक दलों में मतभेद जगजाहिर हैं। पीडीपी, नेशनल कांफ्रेंस जैसे जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक दल और कांग्रेस पार्टी इसके खुल कर विरोध में है। लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि जो दल आज दो संविधान वाली व्यवस्था यानी धारा 370 को खत्म करने का विरोध कर रहे हैं और इसके नतीजे भुगतने की धमकियां दे रहे हैं, क्या वे वाकई कश्मीरी अवाम के हितों के रक्षक हैं? विशेष दर्जे के नाम पर कश्मीर के लोगों को आखिर कब तक गुमराह करते रहेंगे? आखिर एक न एक दिन तो इस समस्या का समाधान निकालना ही पड़ता। धारा 370 को भारत कब तक और क्यों खींचता रहे और क्यों राज्य को विशेष दर्जा मिला रहे? जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, राज्य है। इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि इस विशेष दर्जे ने समस्या को कम करने के बजाय बढ़ाया ही है। धारा 370 की समाप्ति को लेकर लोग भावनात्मक रूप से आहत हो सकते हैं लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि इसे बनाए रखना ज्यादा बड़े संकट को न्योता देना है। वक्त बदलने के साथ लोगों को भी बदलना होगा। राजनीतिक दलों के सहयोग के बिना यह संभव नहीं है। पीडीपी और नेशनल कांफ्रेंस जैसे दलों, जिनकी स्थानीय राजनीति में जड़ें काफी गहरी हैं और जो कश्मीरियों के हमदर्द होने का दावा करते रहे हैं, को अब अंतर्मन से इस पर विचार करना होगा कि कश्मीरियों का हित आखिर है किसमें। सरकार के समक्ष धारा 370 खत्म करने से भी बड़ी चुनौती राज्य के विकास की है। इस वक्त कोशिश जनता के दिल को जीतने की होनी चाहिए। तभी धारा 370 खत्म करने का लाभ राज्य को मिल पाएगा। वरना यह नए संकट को भी जन्म दे सकता है।

मंदी की मार

हाल ही में आई खबर के मुताबिक विश्व बैंक की 2018 की रैंकिंग में भारत की अर्थव्यवस्था पांचवें स्थान से फिसल कर सातवें नंबर पर आ गई। आर्थिक मोर्चे पर तेज रफ्तार विकास के दावों के बीच यह खबर निराश करने वाली है। लेकिन सवाल है कि अर्थव्यवस्था की मजबूती जिन कारकों पर टिकी होती है, उनमें कहां और कौन-सी कमजोरी आई जिससे आर्थिक विकास के बढ़ते कदम ठहर गए या फिर पीछे की ओर लौटे। गौरतलब है कि बाजार में वाहनों की बिक्री में भारी गिरावट के मद्देनजर इस उद्योग में उत्पादन से लेकर बिक्री तक के क्षेत्र में बड़ी तादाद में कर्मचारियों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। उद्योग संगठन फाडा यानी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सिर्फ पिछले तीन महीने के दौरान खुदरा विक्रेताओं ने बिक्री में भारी कमी की वजह से करीब दो लाख कर्मचारियों की छंटनी कर दी। यही नहीं, निकट भविष्य में हालात और बिगड़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। इसके अलावा, खबर यह भी आई कि रेलवे ने अगले साल तक तीन लाख कर्मचारियों की छंटनी का इरादा जताया है।

सवाल है कि बाजार में सामान की खरीदारी जिस तरह रोजगार और आय पर निर्भर है, उसमें इतने पड़े पैमाने पर लोगों के रोजगार से वंचित होने का क्या असर पड़ेगा? हालत तो यह है कि नौकरियों से वंचित लोगों के सामने कई बार रोजमर्रा का सामान खरीदने से पहले सोचने की नौबत आ जाती है। इससे आगे जिस तरह बाजार में अलग-अलग वस्तुओं की खरीदारी और बिक्री में लगे सामाजिक वर्गों की कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, उसमें क्या वाहनों की बिक्री में पहले से छाई मंदी की सूरत और नहीं बिगड़ेगी? यह ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी एक क्षेत्र में नौकरियों में कटौती न केवल उस व्यवसाय को प्रभावित करती है, बल्कि उससे जुड़े दूसरे कारोबार और उसमें लगे लोगों के जीवन पर भी असर पड़ता है। यही वजह है कि वाहनों की बिक्री में भारी कमी के मद्देनजर इस उद्योग की कुछ बड़ी कंपनियों में उत्पादन में कटौती की गई तो उसके लिए तकनीकी कल-पुर्जे बनाने वाली दूसरी तमाम छोटी कंपनियों पर भी इसका काफी नकारात्मक असर पड़ा।

बाजार की ताकत इस बात से आंकी जाती है कि उसमें किसी वस्तु की मांग, खरीद और बिक्री की तस्वीर कैसी है। इस लिहाज से देखें तो कई मामलों में लोगों के सामने पैसे खर्च करने के हालात पहले की तरह नहीं रह गए हैं और अब कुछ जरूरी खरीदारी भी टालने की नौबत आ रही है। इसका सीधा असर पहले बिक्री और उसके बाद उत्पादन पर पड़ना तय है। उत्पादन में कटौती की स्थिति में औद्योगिक इकाइयां खर्च कम करने के विकल्प अपनाती है और उसमें सबसे बड़ी मार नौकरियों पर पड़ती है। वाहन उद्योग में रोजगार, आय, खरीदारी और बिक्री की एक दूसरे से जुड़ी श्रृंखला की वजह से यह स्थिति दूसरे क्षेत्रों में भी देखी जा सकती है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अर्थव्यवस्था की बुनियाद पर इसका कैसा असर पड़ रहा होगा!

कल्पमेधा

मनुष्य को अंधविश्वासजन्य नैतिकता से मुक्त होना चाहिए।
- बर्ट्रेंड रसेल

शरणार्थी संकट और सवाल

विवेक ओझा

आज दक्षिण एशिया में शरणार्थी संकट बढ़ता जा रहा है। ऐसे में यदि भारत ने रोहिंग्या का साथ दिया तो किसी न किसी रूप में उस पर तमिलों, मधेसियों, चकमा लोगों को भी सुरक्षा देने का दबाव पड़ेगा। ऐसे में भारत के राष्ट्रीय हित प्रभावित होंगे। इन सब बातों को ध्यान में रख कर ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी संधि,1951 पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा के प्रति सजग है।

रूसो का कहना था कि इंसान स्वतंत्र रूप से पैदा हुआ है लेकिन हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। शरणार्थी संकट, मानव तस्करी, नशीले पदार्थों की तस्करी आदि अमानवीय गतिविधियां ऐसी ही जंजीरें हैं। हाल में अमेरिका ने रोहिंग्या शरणार्थियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप में म्यांमा के सैन्य बलों के कमांडर इन चीफ जनरल मिन आंग हलाइंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही दो और वरिष्ठ कमांडरों और उनके परिवार के सदस्यों के अमेरिका आने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अमेरिका का कहना है कि इन फौजी अफसरों ने नियम-कानूनों और मानवाधिकारों को ताक पर रख कर रोहिंग्या शरणार्थियों को मौत के घाट उतरवाया है। अमेरिका ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि म्यांमा सरकार ने रोहिंग्या मुसलमानों के साथ अत्याचार करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि ऐसे लोगों को बचाने का ही काम किया है।

हाल में धार्मिक स्वतंत्रता पर अंतरराष्ट्रीय मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन अमेरिका द्वारा किया गया। इस सम्मेलन के पहले ही दिन अमेरिका ने घोषणा की कि वह म्यांमा के सैन्य कमांडरों पर प्रतिबंध लगा रहा है। गौरतलब है कि इस सम्मेलन में रोहिंग्या प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया था। इस घोषणा के साथ ही अमेरिका की सरकार पहली सरकार बन गई है जिसने सार्वजनिक स्तर पर म्यांमा सेना के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। रोहिंग्या मुख्य रूप से एक मुसलिम समुदाय के लोग हैं जो अधिकतर पश्चिमी म्यांमा के रखाइन प्रांत में रहते हैं। इस प्रांत की राजधानी सितवे है जहां भारत ने विशेष आर्थिक क्षेत्र बना रखा है। रोहिंग्या वहां पर आमतौर पर बोली जाने वाली बर्मीज भाषा की जगह बंगाली भाषा की एक बोली बोलते हैं। हालांकि ये रोहिंग्या म्यांमा में सदियों से रह रहे हैं लेकिन म्यांमा का मानना है कि ये वे लोग हैं जो म्यांमा में वहां के उपनिवेशीय शासन के दौरान आए थे। इसलिए म्यांमा सरकार ने रोहिंग्या समुदाय को अभी तक पूर्ण नागरिकता का दर्जा नहीं दिया है। बर्मा का नागरिकता कानून कहता है कि एक नृजातीय अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में एक रोहिंग्या म्यांमा की नागरिकता पाने योग्य तभी होगा जब महिला या पुरुष रोहिंग्या इस बात का सबूत दे कि उसके पूर्वजों ने म्यांमा में वर्ष 1823 के पहले निवास किया था, अन्यथा उन्हें निवासी विदेशी या फिर सहवर्ती नागरिक (एसोसिएट सिटीजन) माना जाएगा, भले उनके अभिभावक में से कोई एक म्यांमा के नागरिक हों। चूंकि रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिकता का दर्जा नहीं मिला है, इसलिए उन्हें वहां बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया है। वे म्यांमा की प्रशासनिक सेवा के भी अंग नहीं बन सकते, वे भाषायी शोषण के शिकार हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसी साल जून में अपनी रिपोर्ट में बताया है कि म्यांमा के सैनिक रोहिंग्या महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं और सैन्य बलों ने वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों तक को नहीं बख्शा है। रखाइन प्रांत में उनके आवाजाही पर भी पाबंदियां लगा दी गई हैं।

आज रोहिंग्या मुद्दे पर म्यांमा, बांग्लादेश और भारत आमने-सामने क्यों हैं, इसे जानने के लिए रोहिंग्या समुदाय के इतिहास पर गौर करना होगा। आठवीं शताब्दी में रोहिंग्या एक स्वतंत्र साम्राज्य अराकान में रहते थे, जिसे आज रखाइन कहा जाता है। नौवीं से चौदहवीं शताब्दी के बीच रोहिंग्या समुदाय अरब व्यापारियों के जरिए इस्लाम के संपर्क में आया और अराकान और बंगाल के बीच मजबूत संबंध विकसित हुए। सन 1784 में बर्मा (आधुनिक म्यांमा) के राजा ने स्वतंत्र अराकान पर कब्जा कर लिया और हजारों शरणार्थी (जिन्हें आज रोहिंग्या कहा जाता है) बंगाल भाग गए। 1790 में हिरम कॉक्स नामक ब्रिटिश राजनयिक को इन शरणार्थियों की मदद के लिए भेजा जिसने बांग्लादेश में कॉक्स बाजार शहर का निर्माण किया। आज भी वहां खासी तादाद में रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं। कालांतर में ब्रिटेन ने बर्मा पर कब्जा कर लिया और उसे म्यांमा के रूप में ब्रिटिश भारत का प्रांत बनाया। बर्मा से श्रमिकों ने ब्रिटिश भारत के कई भागों में काम-धंधे की तलाश में पलायन किया और इस तरह रोहिंग्या भारत से भी जुड़ गए। 1942 में जापान ने बर्मा पर हमला किया और वहां से अंग्रेजों को निकाल दिया। जैसे ही अंग्रेजों ने जवाबी कार्रवाई की, बर्मा के राष्ट्रवादियों ने मुसलिम समुदायों पर हमले शुरू कर दिए। नतीजा यह हुआ कि 1948 में बर्मा की नई सरकार और रोहिंग्या लोगों के बीच तनाव बढ़ गया। बहुत से रोहिंग्या चाहते थे कि अराकान मुसलिम बहुमत वाले पाकिस्तान में मिल जाए। इस पर बर्मा सरकार ने रोहिंग्या लोगों को देश निकाला दे दिया और सिविल सैनिक के रूप में नियुक्त रोहिंग्या बर्खास्त कर दिए गए। पचास के दशक में रोहिंग्या समुदाय ने मुजाहिद नाम वाले सशस्त्र समूह के जरिए बर्मा सरकार का प्रतिकार करना शुरू किया। 1962 में अंततः जनरल नी विन सत्ता में आए और रोहिंग्या लोगों के खिलाफ कठोर नीति अपनाई गई। 1977 में बर्मा की सैन्य सरकार-जुंटा ने रोहिंग्या की आबादी और क्षेत्रों का पता लगाने के लिए कई बड़े अभियान छेड़े और दो लाख रोहिंग्या लोगों को बांग्लादेश भागना पड़ा।

साल 1989 में बर्मा का नाम बदल कर म्यांमा कर दिया। 1991 में ढाई लाख रोहिंग्या लोगों को म्यांमा छोड़ कर भागना पड़ा । बाद में बांग्लादेश के साथ एक प्रत्यावर्तन समझौते के जरिए 1992 से 1997 के बीच दो लाख से ज्यादा रोहिंग्या रखाईन क्षेत्र में पहुंचे। यहां आने के बाद इनका रखाईन के बौद्धों से संघर्ष शुरू हो गया। चूंकि ये मुसलमान थे और बौद्धों के अधिकारों के सामने मुसीबत के रूप में थे। सन 2012 में दोनों समुदायों के बीच खूनी संघर्ष में सौ लोग मारे गए, जिसमें अधिकांश रोहिंग्या थे। इस घटना के बाद हजारों रोहिंग्या फिर बांग्लादेश भागे। वर्ष 2016 में रोहिंग्या मुसलिम समूह हाराकाह अल यकीन ने म्यांमा में बॉर्डर गार्ड पोस्ट्स पर हमला कर नौ सैनिकों को मार दिया। इसके बाद म्यांमा की सेना ने दमन शुरू किया और फिर हजारों रोहिंग्या बांग्लादेश की शरण में पहुंचे।

भारत के गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग चालीस हजार रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं। ये बांग्लादेश से भारत पहुंचे हैं। भारत सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को अवैध प्रवासी मानता है और इन्हें इनके मूल देश वापस भेजने के लिए प्रभावी प्रत्यावर्तन समझौते की तलाश में है। आज दक्षिण एशिया में शरणार्थी संकट बढ़ता जा रहा है। ऐसे में यदि भारत ने रोहिंग्या का साथ दिया तो किसी न किसी रूप में उस पर तमिलों, मधेसियों, चकमा लोगों को भी सुरक्षा देने का दबाव पड़ेगा। ऐसे में भारत के राष्ट्रीय हित प्रभावित होंगे। इन सब बातों को ध्यान में रख कर ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी संधि,1951 पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा के प्रति सजग है। भारत ने असम में भारी तादाद में बांग्लादेश से आए चमका शरणार्थियों और उनसे पैदा होने वाली चुनौतियों को काफी झेला है। रोहिंग्या के संदर्भ में सुरक्षा संबंध का एक अलग और बड़ा आयाम है। इस संकट में तीन राष्ट्रों के हित प्रभावित हैं और द्विपक्षीय संबंधों में तनाव न उभरने देने के लिए यह जरूरी है कि भारत रोहिंग्या के प्रत्यावर्तन पर ठोस कदम उठाए। सवाल है कि रोहिंग्या कब तक परदेश में रहेंगे। भारत सरकार ने अगले पांच वर्षों में ढाई करोड़ डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता के साथ हाल ही में म्यांमा में रोहिंग्या लोगों के लिए ढाई सौ घर भी दिए हैं। भारत इस समस्या का समाधान इसी प्रकार के तरीकों से करना चाहता है।

एकला चलो रे

राजेश कुमार व्यास

जब कभी मन विचलित होता है या फिर अवर्णनीय आशंकाओं से घिर-घिर जाता है, तब संगीत की शरण में जाता हूं और तब अचानक ही जैसे सुकून मिलता है। बांग्ला नहीं जानता, पर मुझे ऐसा लगता है कि रवींद्र संगीत की भाषा समझ में आती है। मन के विचलित होने की स्थिति में तो संगीत की यह भाषा जैसे अपनी ही लगती है। मन तब औचक गा उठता है- 'यदि तोर डाक शुने केऊ न आसे तबे एकला चलो रे।छ रवींद्र संगीत का अर्थ ही है- भाषा, भाव और रस... शास्त्रीय और लोक संगीत का मेल... आत्मा का गान। ध्रुपद, खयाल, ठुमरी वहां है तो बंगाल के लोक संगीत की अजस्र धारा बाउल, भटियाली का माधुर्य भी वहां है। बल्कि यह भी कहा जा सकता है कि हिंदुस्तानी संगीत की राग-रागिनियों में लोक के समवेत स्वर कही हैं तो वह रवींद्र संगीत में ही हैं।

रवींद्रनाथ ठाकुर अपने युग के अद्भुत संगीत मर्मज्ञ रहे हैं। 'गीत वितान' में रवींद्र ने अपने गीतों को 'गान', 'बंधु', 'प्रार्थना', 'विरह', 'साधना और संकल्प', 'अंतर्मुख', 'निःसंशय', 'उत्सव', 'बाउल' आदि उपशीर्षकों से संयोजित करते बाकायदा उनकी स्वरलिपि भी दी है। बांग्ला भाषा में उनके ये गीत 'भांगा-गान' से भी लोकप्रिय हुए। यह रवींद्र ही हैं जिन्होंने गान में स्वरानंद के साथ ही गीतों में निहित भावों के संप्रेषण की भी राह सुझाई। रवींद्र संगीत की यही बड़ी विशेषता है कि वह शास्त्रगत नहीं होकर लोक से जुड़ा है। उसे सुनते हुए अनुभूति का आलोक मिलता है। शुद्ध और मिश्रित रागों में लोक संगीत की छौंक से बना रवींद्र संगीत हृदय के अंतरतम उद्गारों का गान है।

दुनिया मेरे आगे

बहरहाल, आरंभ से ही संगीत हमारे यहां इतना अधिक शास्त्रगत और अनुष्ठानगत रहा है कि उसके सहज माधुर्य से आम जन की एक प्रकार से दूरी होती चली गई। शायद इसीलिए दिगंबर पलुस्कर को कभी कहना भी पड़ा था- 'हमें तानसेन नहीं, कानसेन बनाने हैं।' रवींद्रनाथ ठाकुर ने यही किया। शास्त्रीय राग-रागिनियों की समृद्ध परंपरा की जीवंतता के साथ उसमें लोक का रस घोलते संगी को हर आम और खास की भाषा बनाया। संवेदना, भाव और संगीत का मेल किया। उनके रवींद्र संगीत का अर्थ ही है गान स्वरानंद के लिए ही न हो, बल्कि सुर माधुर्य के साथ गीत रस भी हो। एक साथ कई रागों का मिश्रण। रागाश्रयी के बजाय भावाश्रयी संगीत। सुनते हैं तो गुनने का मन करता है। इसलिए कि वहां कोरा गान भर नहीं, अंतर्मन अनुभूतियों का भाव है। शास्त्रीय राग-रागिनियों की छटा, लेकिन उनमें निहित बंधनों की क्लिष्टता नहीं। लोक संगीत में निहित मानव मन की तमाम सहज संवेदनाएं, लेकिन कहीं कोई असंयत आवेग और चीत्कार नहीं। यह बेवजह नहीं कि इसे सुनने वाले किसी खास दायरे में नहीं सिमटे हुए हैं, बल्कि इसका विस्तार लोक तक है।

मुझे लगता है कि प्रकृति, पूजा, भक्ति, प्रेम और ऋतुओं में निहित आनंद की खोज कहीं है तो वह रवींद्र संगीत में है। कारण यह कि वहां पारंपरिक राग-रागिनियों का मूल परिवेश तो है ही, लेकिन श्रवण में आनंद के अवरोधों की जकड़न नहीं है। बंधनों में निर्बंध। यानी रवींद्र संगीत। याद है कि कुछ समय पहले रवींद्र जन्मशती आयोजनों के सिलसिले में साहित्य अकादमी की ओर से भारतीय लेखकों के दल में शांति निकेतन जाना हुआ था। इसी दौरान रवींद्रनाथ ठाकुर की जन्म स्थली ठाकुरबाड़ी भी जाना हुआ। रास्ते में बांग्ला कथाकार एक मित्र के साथ रवींद्र संगीत का आस्वाद करते जैसे अपने आपको फिर से जिया। लगा कि रवींद्र संगीत खाली संगीत भर नहीं है, बल्कि भावों का आनंद प्रवाह वहां है। रवींद्र संगीत यानी पूजा पर्व गान... ऋतु पर्व गान। यानी कि स्वदेश पर्व गान... भक्ति पर्व गान। रवींद्र के गान में आत्मा की अभ्यर्थना है।

इस क्रम में जो महसूस हुआ, उसे दर्ज करते हुए जेहन में रवींद्र संगीत अमृत रस घोलने लगा है- 'आमि तोमारो शौंगे बेंधेछी आमारो प्राण शूरेरो बांधोने... तुमि जानोना आमि तोमारे पेयेछि अजाना शाधोने...' और 'स्वर्ग हइते बिदाय...', 'आजि झोझेर राते तोमार अभिसार..'! गीत और भी हैं। सुनते हैं तो दर्शन की गहराइयों में उतरने लगते हैं अनुभूतियों का अनूठा भव यानी संसार जो वहां है... भावों के अनुभव का भव...!

रवींद्र सगीत अकेलेपन का गान है। किसी के साथ की जरूरत वहां कहां है! रवींद्र गान का यही तो संदेश है- 'यदि तोर डाक शुने केऊ न आसे तबे एकला चलो रे...'! अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं आता है तो कोई बात नहीं... अकेले चलो... चलते चलो। यह पंक्ति कोरा गान नहीं है, बल्कि अंतर्मन संवेदनाओं की भावाभिव्यक्ति है... आनंद का गान। कलाओं के मर्म को जो गहरे से जीता है, वही रच सकता है ऐसा कालजयी संगीत। इसीलिए तो रवींद्र कालजयी हैं संगीत, नृत्य, नाट्य, चित्रकला आदि तमाम कलाओं के वे साधक, संवाहक हैं।

गर्त में अर्थव्यवस्था

केंद्र सरकार ने भारत को पांच लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है। लेकिन हाल में जारी विश्व बैंक के रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था पांचवे स्थान से फिसल कर सातवें पायदान पर पहुंच गई। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी का आकर 2762.32 अरब डॉलर का रहा और भारत को अगर पांच खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करना है तो 2025 तक लगातार आठ फीसद की वृद्धि दर बनाए रखना जरूरी है। लेकिन जनवरी-मार्च के तिमाही के आकड़े निराशाजनक हैं क्योकि इस तिमाही जीडीपी वृद्धि 5.8 फीसद रही जो पिछले पांच साल में सबसे कम है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार इस वक्त भारतीय अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है और सरकार आर्थिक मोर्चे पर अब तक असफल रही है क्योंकि कई क्षेत्रों की कंपनियों में छंटनी शुरू हो गई है। वाहन-कलपुर्जा उद्योग में लाखों नौकरी जा रही हैं। मोबाइल हैंडसेट उद्योग में ढाई लाख नौकरी चली गई हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे कई उदहारण अर्थव्यवस्था के बुरे हालत दर्शा रहे हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होने के वजह से देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी 72.7 करोड़ डॉलर घट गया है। अगर देश को 2025 तक पांच खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करना है तो अर्थव्यवस्था में संचरनात्मक सुधार करने के साथ-साथ तकनीक एवं कौशल शिक्षा को महत्त्व देना होगा, कृषि क्षेत्र में सुधार करने होंगे, बेरोजगारी खत्म करने के उपाय तलाशने होंगे।

● *निशांत महेश त्रिपाठी, कोंढाली, नागपुर*

बड़ा फैसला

जम्मू-कश्मीर से धारा 370 खत्म करना सरकार का बड़ा कदम है। सरकार ने कश्मीर घाटी में पिछले एक हफ्ते में जिस तरह से भारी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती की, अमरनाथ यात्रियों और अन्य पर्यटकों को अचानक वापस बुलाने एवं इंटरनेट बंद कर देने का जो कदम उठाया, संकेत मिलने लगे थे कि सरकार राज्य में कोई बड़ा कदम उठाने जा रही है। धारा 370 खत्म करना वक्त की जरूरत भी है, क्योंकि कश्मीर में आतंकवाद देश की सबसे बड़ी समस्या है। जम्मू-कश्मीर में धारा 370 खत्म करने की भनक लगते ही अलगावादियों की नींद उड़ गई। अलगाववादी देशद्रोही हैं जो मजहब के नाम पर भोली-भाली जनता को गुमराह करते रहे हैं और पाकिस्तान को खुश रखने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। ये रहते भारत में है लेकिन इनके बच्चे पढ़ते पाकिस्तान में हैं। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ऐसे कदम उठाए हैं। इसका स्वागत किया जाना चाहिए।

● *योगेंद्र गौतम, उन्नाव*

समंदर में कचरा

मान्यता है कि समंदर मे जो कुछ भी डाला जाता है, समंदर उसे वापस कर देता है, अपने पास कुछ भी नही रखता। यह मान्यता सदियों से चली आ रही है। मुंबई में हो रही भारी वर्षा ने इस मान्यता को सही साबित कर दिया है। समंदर में ऊंची लहरें उठीं और कई उपनगरों के तटों पर करीब ढाई सौ टन कचरा जमा हो गया। इसमें प्लास्टिक और पॉलीथिन की वस्तुएं और बोतलें थीं। इसका मतलब हमने समंदर मे जो विसर्जित किया उसने अपने पास न रख कर वापस हमें ही लौटा दिया। पौराणिक काल से समंदर को देवता मानने वाले और उसका पूजन करने वाले देश में आज समंदर को ही कूड़ा-कचरा फेंकने का ठिकाना बना दिया है। आज यदि फिर से सागर मंथन हो तो अमृत, कामधेनु, लक्ष्मी, चंद्रमा तो नहीं निकलेगा, बल्कि सिर्फ प्लास्टिक और पॉलीथिन ही निकलेगा।

● *संजय डागा, हातोद, इंदौर*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

बर्बादी और सबक

भारत के लिए भोजन और कुपोषण की समस्या आज भी गंभीर बनी हुई है। यह तथ्य सत्य है कि आज भी हिंदुस्तान की आधी आबादी को दो वक्त की रोटी मयस्सर नहीं है। साफ पानी मिलना तो दूर की बात है। जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ था तो प्रकृति ने जीवों को पेट भरने के लिए भोजन के स्वच्छ स्त्रोत और प्यास बुझाने के लिए शुद्ध जल उपहार स्वरूप प्रदान किया था। यद्यपि प्रकृति ने हमें भरपूर संसाधन उपलब्ध कराया, फिर भी आज हम बाजारवाद के वशीभूत हो इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि हमने अपने भोजन और जल के साथ जीव-जंतुओं के भोजन और जल को भी दूषित करके रख दिया है। बाजारवाद के इस अंधे दौर में हम इतने डूब चुके हैं कि हमें पता ही नहीं कि हम मानवों के क्रियाकलापों की वजह से संपूर्ण जीव जगत आज विनाश के कगार पर खड़ा है। प्रदूषण की दिनों-दिन गंभीर होती समस्या से जूझ रहे भारत को भोजन और पानी के दूषित होने की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। एक अध्ययन में यह खुलासा हुआ है कि पानी और भोजन के दूषित होने से देश को 2016-17 में 737457 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ जो देश की कुल जीडीपी का 4.8 फीसद है। आज हमारा देश विश्व के उन गरीब देशों की श्रेणी में शामिल है जो अपनी जीडीपी का दो फीसद से भी कम स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं। अगर हमारी सरकार लोगों को स्वच्छ जल एवं शुद्ध भोजन उपलब्ध कराने में सफल होती तो हमारे जीडीपी का लगभग पांच फीसद हिस्सा, जो बर्बाद चला जाता है, उसका उपयोग हम शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मदों पर कर सकते थे।

● *कुंदन कुमार, बीएचयू, वाराणसी*

कानून के हाथ

कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं लेकिन किसके लिए? क्या किसी कमजोर, लाचार, असहाय या शायद किसी पीड़ित के लिए भी? इसका जवाब शायद 'नहीं' में होगा। अगर उन्नाव बलात्कार कांड के आरोपी तक समय से कानून के हाथ पहुंच गए होते तो आज पीड़िता के पिता, चाची और मौसी जीवित होते और बलात्कार जैसी जघन्य प्रताड़ना के बाद भी पीड़िता आज अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग नहीं लड़ रही होती। सत्ता के मदांध लोगों की निर्लज्जता का इससे बड़ा और कोई प्रमाण नहीं हो सकता कि घटना के इतने दिनों बाद पार्टी से निष्कासन का फैसला मजबूरी में किया गया। शुरुआती दौर में तो आरोपी को पूरी तरह से बचाने का प्रयास किया गया। लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई दिल्ली में कराने की बात कही तब जाकर आरोपी विधायक को पार्टी से निकाला गया। अब तो आने वाले समय में देखना है कि पीड़िता को न्याय और अपराधी को सजा कैसे मिलती है।

● *सुशील कुमार शर्मा, नई दिल्ली*